| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज<br>**प्रार्थना पत्र संख्या 82 / 2024 GCMS NO. 2024/327**<br>**उनवानी जितेन्द्र कुमार सैनी बनाम कृष्णा देवी आदि**<br>**अन्तर्गत धारा 111 / 128 एल.आर.एक्ट 1956** | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| 22.10.2024 | पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित आये। अप्रार्थी संख्या 1 से 15 बावजूद सम्यक सूचना के अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।<br>अधिवक्ता प्रार्थी के निवेदन पर बहस अधिवक्ता प्रार्थी सुनी गई।<br>प्रार्थी के द्वारा हस्तगत प्रार्थना पत्र के जरिये मुख्य अनुतोष यह चाहा गया है कि राजस्व ग्राम मेहाडा जाटूवास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1347 / 44 रकबा 0.11 हेक्टेयर के उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी एव पश्चिमी सीमा जो भूमि खसरा नम्बर 1348 / 44, 1346 / 44, 105, 45, 81 / 3, 82 के साथ लगती है। उक्त खसरा नम्बर की सर्वेसीट से नपति करवा कर भूमि खसरा नम्बर 1347 / 44 रकबा 0.11 हेक्टेयर की की चारों सीमाओं पर पुख्ता सीमेन्ट व पत्थर लगवाने के आदेश दिया जावे।<br>पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। जमाबन्दी सम्वत् 2074–2077 राजस्व ग्राम मेहाडा जाटूवास पटवार हल्का मेहाडा जाटूवास तहसील खेतडी खाता संख्या 339 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वाद वर्णित भूमि खसरा नम्बर 1347 / 44 रकबा 0.11 हेक्टेयर का प्रार्थी एकांकी खातेदार काश्तकार है। फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 20.05.2024 द्वारा पटवारी हल्का मेहाड़ा जाटूवास के अवलोकन से भी स्पष्ट है कि प्रार्थी ने विवादित भूमि का सीमाज्ञान भी विधिवत् रूप से करवाया है तथा सीमाज्ञान आदेश दिनांक 20.05.2024 के अनुसार ही पत्थरगढ़ी करवाना चाहता है। जो विधिसम्मत है। लिहाजा<br><br>**<u>आदेश</u>**<br><br>अतः प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को आदेश दिया जाता है कि वह वाके ग्राम **मेहाड़ा जाटूवास** पटवार हल्का **मेहाड़ा जाटूवास** स्थित भूमि खसरा नम्बर 1347 / 44 रकबा 0.11 हेक्टेयर की चारों सीमाओं की पटवारी हल्का **मेहाड़ा जाटूवास** की सीमांकन रिपोर्ट दिनांक 20.05.2024 के अनुसार 1000 / –रूपये की फीस पर पत्थरगढ़ी से प्रभावित पक्षकारों / काश्तकारों की मौके पर उपस्थिति में भूमि खसरा नम्बर 1347 / 44 रकबा 0.11 हेक्टेयर की चारों सीमाओं का पुनः सीमाकंन करवाया जाकर पुख्ता पिल्लर पत्थरगढ़ी करवायें तथा पालना रिपोर्ट यथाशीघ्र भिजवावें। तहसीलदार (भू0अ0) खेतड़ी को इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।<br>निर्णय आज दिनांक 22.10.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।<br><br>Signature Not Verified<br>Digitally signed by Banshi Dhar Yogi<br>Date: 2024.11.18 16:17:32 IST<br>Reason: SelfAttested<br><br>(बंशी धर योगी)<br>आर.ए.एस.<br>उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी<br>जिला नीमकाथाना (राज0)<br><br>न्यायालय उपखण्ड अधिकारी खेतड़ी जिला-नीमकाथाना (राज.)<br>उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी | तहरीर<br>341<br>28.10.24 |